



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-18042026-271893
CG-KA-E-18042026-271893

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1863]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 1863]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 16 अप्रैल, 2026

का.आ. 1933(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, होने वाली भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिए गए कर्नाटक राज्य में स्थित अर्थात्, "राणेबेन्नूर यार्ड (राणेबेन्नूर शहर) में किमी: 359/500-600 पर एलसी संख्या 217 के स्थान पर आरओबी का निर्माण" विशेष रेल परियोजना, के निष्पादन हेतु आवश्यकता एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण का अपना आशय घोषित करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) में इस अधिसूचना के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

राणेबेन्नूर यार्ड (राणेबेन्नूर शहर) में किमी: 359/500-600 पर एलसी संख्या 217 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सहायक आयुक्त हावेरी और क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी को लिखित में दी जाएगी और उसमें आपत्ति के कारण बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई के बाद और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भाग	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	रानेबेन्नूर सिटी	827	E	0.1113
2	रानेबेन्नूर सिटी	785	B	0.0405
3	रानेबेन्नूर सिटी	785	-	0.0152
4	रानेबेन्नूर सिटी	780	B	0.0506
				0.0057
				0.9510
				0.0809
5	रानेबेन्नूर सिटी	781	2D+2E/1,2,3,4+2F	0.0759
				0.0253
				0.0297
6	रानेबेन्नूर सिटी	782	-	0.1138
				0.0835
				0.0708
				0.0278
				0.0253
7	रानेबेन्नूर सिटी	778	-	0.0531
				0.0430
TOTAL				1.8034

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा /2026-27/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पूरी, मुख्य इंजीनियर-III /निर्माण,

बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 16th April, 2026

S.O. 1933(E).—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. “Construction of ROB in lieu of LC No.217 at Km: 359/500-600 in Ranebennur Yard (Ranebennur City)” in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer Assistant Commissioner Haveri and Regional Commissioner, Belagavi for “Construction of ROB in lieu of LC No.217 at Km: 359/500-600 in Ranebennur Yard (Ranebennur City)” in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Part	Area in Hectare
1	Ranebennur City	827	E	0.1113
2	Ranebennur City	785	B	0.0405
3	Ranebennur City	785	-	0.0152
4	Ranebennur City	780	B	0.0506
				0.0057
				0.9510
				0.0809
5	Ranebennur City	781	2D+2E/1,2,3,4+2F	0.0759
				0.0253
				0.0297
6	Ranebennur City	782	-	0.1138
				0.0835
				0.0708
				0.0278
				0.0253
7	Ranebennur City	778	-	0.0531
				0.0430
Total				1.8034

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III / Construction,
Bengaluru Cantonment